



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर 07 गैंगस्टर अभियुक्तों को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹35,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0- 176/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी-1/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.मुनीम सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह 2.शत्रुघ्न सिंह पुत्र हरनाथ सिंह 3.त्रिलोक सिंह पुत्र गनपत सिंह 4.धर्म सिंह पुत्र गनपत सिंह 5.अमर सिंह पुत्र गनपत सिंह 6.जितवार सिंह पुत्र भारत सिंह 7. हंसराज पुत्र हल्के समस्त नि0गण सरगांव थाना राठ जनपद हमीरपुर को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹35,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
निरीक्षक श्री जगदेव
प्रसाद



पैरोकार- थाना मझगवां
का0 सर्वज्ञ कुमार